न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 196/2012

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. रूपसिंह पुत्र तेजसिह जाति-राजपूत, निवासी-आगेवा, तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		1. भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति-राजपूत,निवासी-आगेवा 2. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.04.10.2012

उपस्थितः- 1. श्री रूपसिंह स्वयं वादी मय श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री भवानीसिंह स्वयं प्रति0 मय श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं0-1

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 18/05/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-आगेवा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 256 रकबा 0-10 बीघा की आई हुई हैं। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा हैं व इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित आराजी को जरिये विक्रय विलेख दिनांक 15/05/1973 को भीकाराम पुत्र बलदेव सुथार से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने भीकाराम के 1/4 हिससे की आराजी में से 2 बीघा जमीन अन्य खरीददारों के सांथ मिलकर खरीद की थी। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने दो बीघा में से 1/4 हिस्सा अर्थात् 10 बिस्वा जमीन खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिये। तब से आज दिन तक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वाद पत्र में वर्णित आराजी को माफिक विक्रय विलेख खरीद करने के पश्चात् जो म्यूटेशन संख्या 18 को तत्कालीन पटवारी व आर0आई0 ने पारित करते समय त्रुटिवश प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही पारित कर दिया तथा वादी के नाम म्यूटेशन पारित नहीं किया गया, जो म्यूटेशन काबिल खारिज के हैं तथा उक्त म्यूटेशन के आधार पर अकेले प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज को दुरूस्त कर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी का नाम भी 1/2 हिस्से में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। उक्त आराजी में गलत म्यूटेशन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 का अकेले का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं और नाम दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 गलत फायदा उठाते हुए, उक्त आराजी को किसी अन्य को रहन बेचान बख्शीस व हस्तान्तरण कर देते हैं, तो वादी अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगा तथा वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हैं। वादी को उक्त आराजी पर बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता हुई, तब दिनांक 19/07/2012 को हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तो पता चला कि उसका नाम उक्त आराजी में दर्ज नहीं हैं। तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को अपना नाम दर्ज करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ईन्कार होने से वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से आवश्यक पक्षकार हैं। इसलिये इन्हें वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं, जबकि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। बिनायवाद दिनांक 15/09/2012 को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को नाम दर्ज करवाने का कहने पर प्रतिवादी द्वारा ईन्कार होने से बमुकाम-आगेवा में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी ने उक्त वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 को बावजूद सम्मनस तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 02/04/2013 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 09/12/2014 को वकील मय प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाबदावा पेश किया, जिसकी नकल वकील वादी को दिलाई गई, सामिल मिसल किया। पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात दिनांक 28/05/2015 को मुकर्रर हुई।

दिनांक 23/04/2015 को राज्य सरकार / जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र-आगेवा पर दिनांक 18/05/2015 को पेश हुई। राजस्व लोक अदालत शिविर-आगेवा में लोक अदालत की भावना तथा गठित पैनल की समझाईस से प्रेरित होकर तहरीरी राजीनामा इस आशय का पेश किया कि मौजा-आगेवा की खसरा नम्बर 256 रकबा 0-10 बीघा भूमि माफिक पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 07/06/1973 बही सं0-I के वोल्यूम सं0-II पेज 189-194 की क्रमशः 175/73 पर दर्ज हैं, के अनुसार भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह एवं रूपसिंह पुत्र तेजसिंह का 0-10 बीघा भूमि में समान हिस्सा हैं, इस हेतु हम दोनों पक्षकार सहमत हैं, इसमें अब कोई आपसी विवाद नहीं हैं। जिससे नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 29/12/74 खारिज किये जाने तथा वादी को 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। वादी की पहिचान रामनिवास पटवारी आगेवा तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहिचान गोपाराम पुत्र शोभाराम सीरवी निवासी-आगेवा ने की हैं, जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। उपस्थित उभय पक्षकारानों को सुना गया। माफिक राजीनामा एवं पंजीबद्ध दस्तावेज वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा विवादित उक्त आराजी में वादी को 1/2 हिस्से तथा प्रतिवादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

-::आदेश::-

अतः माफिक राजीनामा एवं पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 07/06/1973 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-आगेवा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित खसरा नम्बर 256 रकबा 0-10 बीघा (दस बिस्वा) किस्म चा0चा0 भूमि में वादी को 1/2 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा0मि0 हो। तहसीलदार डिक्री की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 18.05.2015 को राजस्व लोक अदालत शिविर अटल सेवा केन्द्र आगेवा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner